


27.02.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल
वादी पत्र अदम हाजरी मे खारिज हो चुका हो।
मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के
कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई
कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

